मुकदमों का विवरण

देवेश शर्मा बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ। (2023 की सिविल अपील संख्या 5068) 11 अगस्त, 2023

[अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद-एन. सी. टी. ई. ने दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (स्तर-1) के पद पर नियुक्ति के लिए बी. एड. योग्यता को समकक्ष और आवश्यक योग्यता के रूप में शामिल करना सही था; और क्या उच्च न्यायालय को उक्त अधिसूचना को रद्द करने में उचित ठहराया गया था, जिसमें बी. एड. उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों (स्तर-1) के पदों के लिए अयोग्य ठहराया गया था।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम**, 2009 -**धारा **23 (1)-**प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति**-**एन**.** सी**.** टी**.** ई**.** द्वारा अधिसूचना दिनांक **28.06.2018** के माध्यम से बी**.** एड**.** को एक आवश्यक योग्यता के रूप में शामिल करना**-**न्यायसंगत उद्धरणः

आयोजित किया गयाःस्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए बी. एड. योग्यता प्रमाण नहीं है-प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक से आवश्यक शैक्षणिक कौशल और प्रशिक्षण बी. एड. से अपेक्षित नहीं है। प्रशिक्षित शिक्षक-उन्हें उच्च स्तर, प्राथमिक स्तर के बाद, माध्यमिक और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है-प्राथमिक स्तर के लिए अर्थात पहली से पांचवीं कक्षा के लिए प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा में 'आईडी1' है-इस प्रकार, बी. एड. को एक योग्यता के रूप में शामिल करना प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की 'गुणवत्ता' को कम करने के बराबर है-'गुणवत्ता' और सार्थक प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पर विधायिका के साथ-साथ शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा भी जोर दिया गया है-प्राथमिक शिक्षा में, शिक्षा की 'गुणवत्ता' पर किसी भी समझौते का मतलब अनुच्छेद 21 ए और आरटीई अधिनियम के अधिदेश के खिलाफ जाना होगा-इस प्रकार, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए योग्यता के रूप में बी. एड. को शामिल करने का एनसीटीई का निर्णय मनमाना है। पात्रता से बाहर की डिग्री 168

आवश्यकता-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने 28.06.2018 दिनांकित अधिसूचना को सही ढंग से खारिज कर दिया।[पैरा 27,29,31,33 और 34]

प्रशासनिक कानून**-**नीतिगत निर्णय**-**केंद्र सरकार के निर्देश पर एन**.** सी**.** टी**.** ई**.** द्वारा दिनांक **28.06.2018** की अधिसूचना के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए योग्यता प्रमाण के रूप में बी**.** एड**.** की शुरुआत**-**हस्तक्षेपः

आयोजित किया गयाःसरकार के नीतिगत निर्णयों में आम तौर पर न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवैधानिक न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए-न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब नीतिगत निर्णय स्वयं कानून के विपरीत हो और मनमाना और तर्कहीन हो, या कोई निर्णय उचित दिमाग के उपयोग के बिना या प्रासंगिक कारकों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए लिया गया हो-बी. एड. को योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्णय एन. सी. टी. ई. का एक स्वतंत्र निर्णय नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार का निर्णय था और एन. सी. टी. ई. को केवल एक निर्देश के रूप में इसे लागू करने का निर्देश दिया गया था।29 एन. सी. टी. ई. अधिनियम के अनुसार-इसे एक नीतिगत निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता है-यह मानते हुए भी कि यह एक नीतिगत निर्णय है, यह निर्णय सही नहीं है क्योंकि यह अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है-यह अनुच्छेद 21 ए और आर. टी. ई. अधिनियम के अक्षर और भावना के खिलाफ जाता है, जो बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य और सार्थक प्राथमिक शिक्षा का आह्वान करता है-बी. एड. को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए योग्यता प्रमाण के रूप में शामिल करके, केंद्र सरकार ने संविधान और कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ काम किया है-राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा

परिषद अधिनियम, 1993 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है -धारा 29-न्यायिक समीक्षा। [पैरा 36 और 37]

भारत का संविधान**-Art.21A-**शिक्षा का अधिकार**-**मौलिक अधिकारः

आयोजित किया गयाः14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को 'मुफ्त' और 'अनिवार्य' प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, जो अच्छी 'गुणवत्ता' की होनी चाहिए-यही शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उद्देश्य और उद्देश्य है।[पैरा 17]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

उन्नी कृष्णन जे. पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। ए. आई. आर 1993 एस. सी. 2178:[1993] 1 एस. सी. आर. 594; दिलीप कुमार घोष और अन्य बनाम

अध्यक्ष और अन्य (2005) 7 एस. सी. सी. 567:[2005] 3 पूरक।एससीआर 158; 169

देवेश शर्मा बनाम भारत और भारत का संघ।

पी. एम. लता और एक अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2003) 3 एस. सी. सी. 541:[2003] 2 एससीआर 653; योगेश कुमार बनाम एन. सी. टी. सरकार, दिल्ली

(2003) 3 एससी 548:[2003] 2 एस. सी. आर. 662; सोसाइटी फॉर अनएडिड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. (2012) 6 एससीसी 1:[2012] 2 एससीआर 715;

सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री (1984) 3 सभी ई. आर. 935; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य बनाम संजीव (2005) 5 एस. सी. सी. 181:[2005] 3 एस. सी. आर. 151; एम. पी. और अन्य राज्य बनाममाला बनर्जी (2015) 7 एससीसी 698:[2015] 3 एस. सी. आर. 704; बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ (2012) 6 एस. सी. सी. 502:[2012] 5 एससीआर 305; मणिपुर राज्य और अन्य बनामसूरजकुमार ओकराम और अन्य।

2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 130-संदर्भित।

ऑस्टिन, ग्रैनविल।“संविधान का विवेक "।द इंडियन

संविधान, एक राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, 2000, पृष्ठ 50; बारज़ुन, जैक्स।“पेशाःशिक्षक "।अमेरिका में शिक्षक, अटलांटिक मंथली प्रेस, 1945, पीपी के सहयोग से लिटिल ब्राउन 7 कंपनी द्वारा प्रकाशित।

3-13; वेनर मायरन (1991):तुलनात्मक रूप से भारत में बाल और राज्य

परिप्रेक्ष्य-प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय/मौलिक न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील No.5068।

2021 के डी. बी. सी. डब्ल्यू. पी. No.2109 में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 25.11.2021 से।

सह

सिविल अपील Nos.5122,5070,5086,5121,5069,5071-5084,5085,5087,5088-5120,5125,5123-5124 2023 की, रिट याचिका (सिविल) Nos.137,881 और 2022 की 355।

रूपः

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., पी. एस. पटवालिया, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, कपिल सिब्बल, डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अमित पवन, अभिषेक अमृतांशु, गौरवजीत सिंह पटवालिया, आनंद नंदन, हसन जुबैर वारिस, सुश्री शिवांगी, आकर्ष, सुचित सिंह रावत, कुशाग्र राज, चित्तप्रिया घोष, सोमेश कुमार घोष, अनिंदो मुखर्जी, आर. पी. गोयल, अमित अग्रवाल, विज्ञान शाह, सुश्री राधिका यादव, अक्षित गुप्ता, सुश्री सना 170

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

जैन, अनमोल चंदन, सुश्री विशाखा, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री श्रेया जैन, अमन शर्मा, ए. के. कौल, राज बहादुर यादव, सुघोश सुब्रमण्यम, जी. एस. मक्कर, पुनीत जैन, विज्ञान शाह, सुश्री क्रिस्टी जैन, सुश्री श्रुति सिंह, अक्षित गुप्ता, उमंग मेहता, योगित कामत, मान अरोड़ा, सारा शर्मा, सुश्री प्रज्ञा सेठ, शिप्रा सिंह, सुश्री आकृति शर्मा, अर्पित प्रकाश, विकल्प शर्मा, अपूर्व एस., शाश्वत मेहरा, दिव्यद्युति बनर्जी, सुश्री सुमेधा हलदर, रोहित जायसवाल, उमंग गुप्ता, मनोज राजपूत,उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

सुधांशु धूलिया**,** जे।

अनुमति प्रदान की गई।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले, दिनांक 25.11.2021, को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है।अपीलों के अलावा, इसी मुद्दे पर इस न्यायालय के समक्ष तीन रिट याचिकाएं भी हैं।फिर भी, इन मामलों से निपटने के दौरान, तथ्यों के लिए, हम 2021 के देवेश शर्मा बनाम भारत संघ की सिविल अपील @एसएलपी (सी) No.20743 का उल्लेख करेंगे, जो आदेश 171 से उत्पन्न होता है।

देवेश शर्मा बनाम भारत और भारत का संघ। [सुधांशु धूलिया, जे।]

2021 की डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2109 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.11.2021।

3. इस न्यायालय के समक्ष विवाद के मूल में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (इसके बाद 'एन. सी. टी. ई.') द्वारा जारी अधिसूचना है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 23 (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।इस अधिसूचना ने बी. एड. डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों (कक्षा I से V) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बना दिया।हालाँकि, उपरोक्त अधिसूचना के बावजूद, जब राजस्थान राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटीईटी स्तर-1) के लिए 11.01.2021 पर एक विज्ञापन जारी किया, तो उसने बी. एड. डिग्री धारकों को योग्य उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर दिया।राजस्थान सरकार की इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता श्री देवेश शर्मा के पास बी. एड. की डिग्री है, और अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 के अनुसार, वह इसी तरह के कई अन्य उम्मीदवारों की तरह पात्र थे।नतीजतन, उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका का नेतृत्व करते हुए अनुरोध किया कि 11.01.2021 दिनांकित विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि यह NCTE द्वारा जारी 28.06.2018 दिनांकित अधिसूचना का उल्लंघन था।

4. याचिकाकर्ताओं के उपरोक्त समूह के अलावा, याचिकाकर्ताओं का एक और समूह था, जिसकी अपनी शिकायतें थीं।ये वे उम्मीदवार हैं जो प्रारंभिक शिक्षा (D.El.Ed) 1 में डिप्लोमा धारक हैं, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए आवश्यक एकमात्र शिक्षण योग्यता थी, और जो बी. एड. योग्य उम्मीदवारों को शामिल करने से व्यथित हैं।उन्होंने भी राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांकित 28.06.2018 अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का नेतृत्व किया।राजस्थान राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष उम्मीदवारों के इन दूसरे समूह का समर्थन किया, जैसा कि वे इस न्यायालय के समक्ष करेंगे।

5. हमारे समक्ष दायर तीन रिट याचिकाओं में से दो (2022 का डब्ल्यू. पी. संख्या 137 और 2022 का 881) बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दे रही हैं, जिसमें बी. एड. सहित योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 2022 का डब्ल्यू. पी. नंबर 355 फिर से दिनांकित 28.06.2018 अधिसूचना को चुनौती देता है।2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 22923 अंतरिम आदेश के खिलाफ है।

1 यह संभव है कि इस डिप्लोमा को विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता हो।यही कारण है कि कहीं न कहीं इसे केवल प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश जिसने उन याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया जो दिनांकित 28.06.2018 अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे।

6. इसलिए इन मामलों में कानून के सवाल का जवाब यह दिया जाना चाहिए कि क्या प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (स्तर-1) के पद पर नियुक्ति के लिए बी. एड. योग्यता को समकक्ष और आवश्यक योग्यता के रूप में शामिल करने में एन. सी. टी. ई. सही था?राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में बी. एड. उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों (स्तर-1) के पदों के लिए अयोग्य ठहराने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से, हमने विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री परमजीत सिंह पटवालिया को सुना है जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला किया है।श्री पटवालिया बी. एड. योग्य उम्मीदवारों की ओर से पेश हुए और दिनांकित अधिसूचना 28.06.2018 और उन याचिकाकर्ताओं का समर्थन करेंगे जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उनके बहिष्कार को चुनौती दी थी।अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा को भी सुना गया।विद्वान वकील का तर्क होगा कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 29 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी करने के बाद एन. सी. टी. ई. द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय था और उच्च न्यायालय केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने में गलत था।एन. सी. टी. ई. मोटे तौर पर श्री पटवालिया और सुश्री अरोड़ा द्वारा की गई दलीलों से सहमत है, जबकि विवादित फैसले पर हमला करता है।

8. हमने डिप्लोमा धारकों और राजस्थान राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल और डॉ. मनीष सिंघवी की दलीलें भी सुनी हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ तर्क देंगे कि एन. सी. टी. ई. को एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते इस मामले में वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं के आधार पर एक स्वतंत्र निर्णय लेना था।भले ही एन. सी. टी. ई. को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़े, एन. सी. टी. ई. को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि इन निर्देशों पर उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार किया गया था और इन्हें यांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया गया था।

9. भारत संघ की ओर से हमने विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी और श्री विक्रमजीत बनर्जी को सुना है।वे तर्क देंगे कि अधिनियम के साथ-साथ एन. सी. टी. ई. अधिनियम दोनों के तहत दी गई केंद्र सरकार की शक्तियों की अनदेखी करते हुए विवादित निर्णय पारित किया गया है। इसके अलावा, इस बात पर भी आपत्ति जताई गई है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाही में भारत संघ को पक्षकार भी नहीं बनाया गया था!

10. सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने अलग-अलग राज्यों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य हितधारकों को हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया था।इस आदेश के अनुसार, कई अंतर्वर्ती आवेदनों का नेतृत्व किया गया था, जिन पर इन अपीलों के साथ सुनवाई की जा रही है।

11. “ग्रैनविल ऑस्टिन 2 लिखते हैं कि भारतीय संविधान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है।भाग III में निहित अधिकार और भाग IV में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत एक साथ ऐसी स्थितियां स्थापित करते हैं जो इस सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को आगे बढ़ाती हैं।ऑस्टिन संविधान के भाग III और भाग IV को "संविधान का विवेक" कहते हैं।4. बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हमारे संविधान निर्माताओं की सामाजिक दृष्टि का एक हिस्सा थी।

12. बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा आज भारत के संविधान के भाग III के अनुच्छेद 21 ए के तहत एक मौलिक अधिकार है। प्रत्येक बच्चे (14 वर्ष की आयु तक) को 'मुफ्त' और 'अनिवार्य' प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है।लेकिन तब तक 'मुफ्त' और 'अनिवार्य' प्रारंभिक शिक्षा का कोई फायदा नहीं है जब तक कि यह एक 'सार्थक' शिक्षा भी न हो।दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक शिक्षा अच्छी 'गुणवत्ता' की होनी चाहिए, न कि केवल एक अनुष्ठान या औपचारिकता!

13. इस संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी प्रगति धीमी रही है।कुछ मायनों में, यह अभी भी प्रगति पर है।संविधान के 86 वें संशोधन से पहले, शिक्षा का अधिकार राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में संविधान के भाग-IV (अनुच्छेद 45) में था।निर्देशक सिद्धांत, जैसा कि हम जानते हैं, लक्ष्यों का एक समूह है जिसे प्राप्त करने के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 45 5 (जैसा कि यह उस समय था) में निर्धारित लक्ष्य, संविधान की घोषणा के 10 साल के भीतर, 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना था।फिर भी, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में दस साल से अधिक का समय लगेगा।

2 ऑस्टिन, ग्रैनविल।“संविधान की अंतरात्मा "।द इंडियन कांस्टीट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000, पृष्ठ 50

3 आई. बी. आई. डी.-पीपी 50।

4 आई. बी. आई. डी.-पीपी 50।

5 संविधान का अनुच्छेद 45 जैसा कि 86 वें संशोधन से पहले मौजूद थाः

“बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।— राज्य ऐसा करेगा

इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें।"

14. वर्ष 1992 में संशोधित 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषणा की गई थी कि देश की अगली शताब्दी यानी 21 वीं सदी में प्रवेश करने से पहले चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को 'संतोषजनक गुणवत्ता' की मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए।

15. बाद में उन्नी कृष्णन मामले में इस अदालत के निर्णायक फैसले में

जे. पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2178)

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी होने तक मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार है।

16. वर्ष 1997 में, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संसद में 83 वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया था, ताकि भारत के संविधान के भाग III में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जा सके, जो कि अनुच्छेद 21 ए होना था। इस विधेयक को मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति की जांच के लिए भेजा गया था।स्थायी समिति ने न केवल संशोधन का स्वागत किया, बल्कि 'प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता' पर भी जोर दिया।यही कहा गया है।

“प्रख्यात शिक्षाविदों ने महसूस किया कि यह विधेयक शिक्षा की 'गुणवत्ता' पर चुप है।उन्होंने सुझाव दिया कि विधेयक में शिक्षा की 'गुणवत्ता' का उल्लेख होना चाहिए।शिक्षा सचिव ने सहमति व्यक्त की कि 'गुणवत्ता' पहलू को भी देखना होगा।निश्चित रूप से शिक्षा का अर्थ 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा होना चाहिए और इससे कम किसी भी चीज़ को शिक्षा नहीं कहा जाना चाहिए।सचिव ने कहा कि इसलिए, शिक्षक शिक्षा सामग्री को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।” 6

अंत में, 2002 के संविधान (86 वां संशोधन) अधिनियम के माध्यम से, अनुच्छेद 21 ए को संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, और इसे 01.04.2010 से प्रभावी बनाया गया था।संविधान का अनुच्छेद 21 ए इस प्रकार हैः

“अनुच्छेद 21 एःराज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसी रीति से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जो राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे।"

17. उपरोक्त अधिदेश को पूरा करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को संसद द्वारा 20 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था, जो 01.04.2010 से प्रभावी हो गया था।अधिनियम के उद्देश्य और कारणों ने जोर से और स्पष्ट रूप से

घोषणा की कि अधिनियम जो हासिल करना चाहता है वह केवल 'मुफ्त' और 'अनिवार्य' प्राथमिक शिक्षा नहीं है, बल्कि उतनी ही महत्वपूर्ण होगी -

6 मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का पैरा 13।

175

देवेश शर्मा बनाम भारत और भारत का संघ। [सुधांशु धूलिया, जे।]

'इस शिक्षा की गुणवत्ता!अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि "प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक विद्यालय में संतोषजनक और न्यायसंगत 'गुणवत्ता' की पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है जो कुछ आवश्यक मानदंडों और मानकों को पूरा करता है।"

18. जब अधिनियम की वैधता को इस न्यायालय 7 के समक्ष चुनौती दी गई, तो इस न्यायालय ने इसकी वैधता को बरकरार रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम का उद्देश्य न केवल बच्चों को "मुफ्त" और "अनिवार्य" शिक्षा प्रदान करना था, बल्कि इसका उद्देश्य "गुणवत्तापूर्ण" शिक्षा प्रदान करना भी था!

"इस अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य न केवल बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देना है, बल्कि इसमें स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करके और विशिष्ट मानदंडों और मानकों का पालन करके 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है।" [पैरा 8, (2012) 6 एस. सी. सी. 1 देखें]19. जैसा कि हम देख सकते हैं, इस पथप्रदर्शक कानून को लाने के पीछे का उद्देश्य बच्चों के लिए 'मुफ्त और अनिवार्य' प्राथमिक शिक्षा की औपचारिकता को पूरा करना नहीं था, बल्कि प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक अंतर बनाना और इसे सार्थक तरीके से प्रदान करना था।'पड़ोस के स्कूल में प्रवेश पाने का अधिकार' 8, 'प्रवेश से इनकार नहीं' 9 और 'शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध' 10 जैसे प्रावधान अधिनियम के कुछ दिल को छू लेने वाले प्रावधान हैं।

20. यह अधिनियम कुछ मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है जिनका प्राथमिक विद्यालयों में पालन किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य एक सार्थक और 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा प्रदान करना है।इनमें से कुछ आवश्यकताओं के नाम दें जैसे किः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

A. आवश्यक आधारभूत संरचना की आवश्यकता।B. छात्र शिक्षक अनुपात जो 30 हैः1 और

ग. प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की पूर्ण आवश्यकता।21.अगर हम इसकी 'गुणवत्ता' से समझौता करते हैं तो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा व्यर्थ हो जाती है।हमें सर्वश्रेष्ठ योग्य शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए।एक अच्छा शिक्षक किसी देश में 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा का पहला आश्वासन है।

7 राजस्थान के गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए सोसायटी बनाम भारत संघ और अन्र। [(2012) 6 एससीसी 1]

8 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 3। 9 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 15। 10 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17।

176

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

विद्यालय।शिक्षकों की योग्यता पर किसी भी समझौते का मतलब अनिवार्य रूप से शिक्षा की 'गुणवत्ता' पर समझौता होगा। अमेरिकी शिक्षाविद् और इतिहासकार जैक्स बारज़ुन ने अपनी मौलिक कृति 'टीचर इन अमेरिका' में कहा है, "शिक्षण एक खोई हुई कला नहीं है, बल्कि इसके प्रति सम्मान एक खोई हुई परंपरा है।"11. हालाँकि यह टिप्पणी अमेरिका में उच्च शिक्षा की स्थिति के लिए थी, लेकिन यह हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा के उपचार पर भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी कि हमारे सामने मौजूद तथ्यों से सामने आती है।

22. भारत में प्रारंभिक शिक्षा दो स्तरों पर है।ए 'प्राथमिक' स्तर है यानी कक्षा I से V, और बी वरिष्ठ प्राथमिक स्तर है यानी कक्षा VI से VIII। वर्तमान में हम केवल शिक्षा के "प्राथमिक स्तर" से संबंधित हैं।

23. अधिनियम की धारा 23 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न केवल यह प्रावधान है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण कौन करेगा, बल्कि यह भी बताया गया है कि कौन इन योग्यताओं में छूट दे सकता है और कितने समय के लिए।

यह नीचे लिखा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"धारा **23.**शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा के नियमों और शर्तों के लिए योग्यता प्रमाण।**—(1)** ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऐसा है

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत, एक शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुदान, एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) जहां किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संस्थान नहीं हैं, या उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो केंद्र सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो अधिसूचना द्वारा, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में ढील दे सकती है, ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्षों से अधिक न हो, जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता हैः

बशर्ते कि एक शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ में, उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता राशन नहीं है, वह पांच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता राशन प्राप्त करेगाः

11 बारज़ुन, जैक्स।"पेशाःशिक्षक "।अमेरिका में शिक्षक, अटलांटिक मंथली प्रेस, 1945, पीपी के सहयोग से लिटिल ब्राउन 7 कंपनी द्वारा प्रकाशित।

देवेश शर्मा बनाम भारत और भारत का संघ। [सुधांशु धूलिया, जे।]

[बशर्ते कि 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या पद पर तैनात प्रत्येक शिक्षक, जिसके पास उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, वह बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेगा।

(3) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएं।"24. जबकि धारा 23 की उप-धारा (1) वह प्रावधान है जिसमें 'शैक्षणिक प्राधिकरण' को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारण निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है, धारा 23 की उप-धारा (2) केंद्र सरकार को कुछ परिस्थितियों में और सीमित अवधि के लिए 'शैक्षणिक प्राधिकरण' द्वारा निर्धारित न्यूनतम 'योग्यता निर्धारण' में ढील देने का अधिकार देती है।अधिनियम की धारा 23 (1) के तहत 'शैक्षणिक प्राधिकरण' राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन. सी. टी. ई.) है, जिसने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करते हुए 23.08.2010 पर एक अधिसूचना जारी की।अन्य बातों के साथ-साथ, यह अधिसूचना निम्नानुसार निर्धारित करती हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

1. न्यूनतम योग्यता मूल्यांकनः- (i) कक्षा I-V

(क) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (जो भी नाम से जाना जाए) या

एन. सी. टी. ई. (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया), विनियम 2002 के अनुसार कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (जो भी नाम से जाना जाए)।

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा स्नातक (B.El.Ed)

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)

और

(ख) अपने उद्देश्य के लिए एन. सी. टी. ई. द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी. ई. टी.) में उत्तीर्ण होना।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 23.08.2010, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता प्रमाण के रूप में बी. एड. प्रदान नहीं करती है।बाद में इस अधिसूचना में संशोधन किया गया, लेकिन बी. एड. को कभी भी (विवादित अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 तक) प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों यानी पहली से पांचवीं कक्षा के शिक्षकों के लिए एक आवश्यक योग्यता प्रमाण के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद के लिए एक उम्मीदवार के पास ये तीन योग्यता प्रमाण होने चाहिए थे।

उ. वह उच्च माध्यमिक स्तर से उत्तीर्ण होना चाहिए।

B. उसके पास प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) होना चाहिए, उस राज्य में इसे किसी भी नाम से जाना जाता था।

ग. फिर उसे राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए जिसे शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीईटी के रूप में जाना जाता है।

25. शैक्षणिक प्राधिकरण, जो कि एन. सी. टी. ई. है, ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति को एक पूर्ण आवश्यकता माना।यही कारण है कि प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के लिए निर्धारित योग्यता प्रमाणन प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) था, न कि बी. एड. सहित कोई अन्य शैक्षिक योग्यता प्रमाणन। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा या टी. ई. टी. प्राथमिक स्तर पर छात्रों को संभालने के लिए उम्मीदवार के कौशल का परीक्षण करेगी।

इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक से आवश्यक शैक्षणिक दृष्टिकोण कुछ मायनों में अद्वितीय है।ये प्रारंभिक प्रारंभिक वर्ष हैं जहाँ एक छात्र ने कक्षा के अंदर कदम रखा है, और इसलिए इसे सावधानी और संवेदनशीलता के साथ संभालने की आवश्यकता है।एक उम्मीदवार जिसके पास प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) है, उसे इस स्तर पर छात्रों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि उसने इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरा किया है।

'अकादमिक प्राधिकरण', जो कि एन. सी. टी. ई. है, को अधिनियम द्वारा सभी कक्षाओं के लिए एक पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया स्थापित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

देवश शर्मा बनाम भारत और भारत का संघ। [सुधांशु धूलिया, जे।]

एक 'बच्चे' का विकास, एक बच्चे के सभी डर और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए।अधिनियम की धारा 29 निम्नानुसार हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

29. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया।— (1) पाठ्यक्रम

और प्राथमिक शिक्षा के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया एक शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) शैक्षणिक प्राधिकरण, उप-धारा (1) के तहत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करते समय, निम्नलिखित पर विचार करेगा, अर्थात्:—

(क) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप; (ख) बच्चे का सर्वांगीण विकास;

(ग) बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा का निर्माण; (घ) शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का पूरी तरह से विकास;

(ई) बाल अनुकूल और बाल-केंद्रित तरीके से गतिविधियों, खोज और अन्वेषण के माध्यम से सीखना;

(च) जहां तक संभव हो, शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होगा।

(छ) बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाना और बच्चे को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने में मदद करना;

(ज) बच्चे की ज्ञान की समझ और उसे लागू करने की उसकी क्षमता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन।"

जैसा कि हम देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया जिसे 'शैक्षणिक प्राधिकरण' को स्थापित करने के लिए अनिवार्य किया गया है, उसके लिए एक शैक्षणिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसे उन शिक्षकों द्वारा सबसे अच्छा दिया जा सकता है जो बाल छात्रों से निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं।

बी. एड. योग्यता प्राप्त व्यक्ति को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों को शिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।उनसे प्राथमिक स्तर के छात्रों को प्रशिक्षण देने की उम्मीद नहीं की जाती है।

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (इसे प्रत्येक राज्य में अलग-अलग नामों से जाना जाता है) और स्नातक शिक्षा (बी. एड.) के बीच के अंतर को समझने के लिए, हम अधिसूचना 180 से आगे नहीं देखते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन. सी. टी. ई.) द्वारा समय-समय पर जारी किया जाता है।

एन. सी. टी. ई. विनियम, 2009 के परिशिष्ट 2 में बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है।इसे इस प्रकार बताया गया हैः

“1. प्रस्तावना

1.1 प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) शिक्षक शिक्षा का दो साल का व्यावसायिक कार्यक्रम है।इसका उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा के प्रारंभिक चरण यानी पहली से आठवीं कक्षा के लिए तैयार करना है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटते हुए एक समावेशी स्कूली वातावरण में सभी बच्चों की बुनियादी सीखने की जरूरतों को पूरा करना है।

1.2 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में बी. टी. सी., जे. बी. टी., डी. एड. और (शिक्षा में डिप्लोमा) जैसे अलग-अलग नाम हैं।अब से, कार्यक्रम का नामकरण सभी राज्यों में समान होगा और इसे 'प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा' (D.El.Ed) के रूप में संदर्भित किया जाएगा।"

यही विनियमन अपने परिशिष्ट 4 में बी. एड का वर्णन इस प्रकार करता हैः

“1. प्रस्तावना

स्नातक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे आम तौर पर बी. एड. के रूप में जाना जाता है, एक पेशेवर पाठ्यक्रम है जो शिक्षकों को उच्च प्राथमिक या मध्यम स्तर (कक्षा VI-VIII), माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-X) और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा XI-XII) के लिए तैयार करता है।कार्यक्रम को विनियम 2 के खंड (बी) की अवहेलना के रूप में समग्र संस्थानों में लागू किया जाएगा।"

इसलिए यह स्पष्ट है कि बी. एड. पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया है।

इसके अलावा, प्राथमिक कक्षाओं के लिए बी. एड. उम्मीदवारों को शामिल करना इस न्यायालय के कई फैसलों के कारण है, क्योंकि इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि प्राथमिक विद्यालयों में बी. एड. के बजाय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) उचित योग्यता है।

26. दिलीप कुमार घोष और अन्य बनाम अध्यक्ष और

अन्य 12, इस न्यायालय को इस प्रश्न पर निर्णय लेना था कि क्या बी. एड की डिग्री है

12 (2005) 7 एससीसी 567 181

देवेश शर्मा बनाम भारत और भारत का संघ। [सुधांशु धूलिया, जे।]

उम्मीदवार की तुलना एक ऐसे उम्मीदवार के साथ की जा सकती है जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षण में प्रशिक्षण रखता है या दूसरे शब्दों में जो प्राथमिक विद्यालयों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है।अपीलार्थियों (उपरोक्त मामले में) जो बी. एड. उम्मीदवार थे, उनका तर्क था कि उनका पाठ्यक्रम (बी. एड.) उन्हें प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए सुसज्जित करता है।उनके तर्क को इस अदालत ने खारिज कर दिया था।पैरा 9 में कहा गया हैः

“बी. एड. पाठ्यक्रम में बाल मनोविज्ञान जैसे विषय नहीं पाए जाते हैं।दूसरी ओर, पाठ्यक्रम एक सामान्य प्रकृति का है और शैक्षिक-पाठ्यक्रम अध्ययन के सिद्धांत, शैक्षिक मनोविज्ञान, आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास, सामाजिक संगठन और निर्देशात्मक तरीकों आदि जैसे विषयों से संबंधित है।"

फिर पैरा 10 में इसे निम्नानुसार कहा गया थाः

“.....इसलिए, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए, कम उम्र में बच्चे के मनोविज्ञान और विकास को जानना आवश्यक है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, बी. एड. डिग्री में प्रशिक्षित अपीलार्थियों जैसे उम्मीदवारों को प्राथमिक कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए आवश्यक रूप से सुसज्जित नहीं होना चाहिए।वे कम उम्र के बच्चे के मनोविज्ञान को समझने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित नहीं हैं।"

पी. एम. लता और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य 13 में

यह तर्क कि बी. एड. योग्यता प्रमाणन प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) की तुलना में उच्च योग्यता प्रमाणन है, खारिज कर दिया गया था।पुनः, यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला था जहाँ बी. एड उम्मीदवार इस दावे के आधार पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति का दावा कर रहे थे कि उनकी शैक्षिक योग्यता (अर्थात बी. एड.) प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) से भी अधिक थी जो अन्य उम्मीदवारों द्वारा आयोजित की गई थी।उक्त मामले के पैरा 10 में यह निम्नानुसार कहा गया थाः

“हम उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए इस तर्क में कोई बल नहीं पाते हैं कि बी. एड. योग्यता टी. टी. सी. की तुलना में उच्च योग्यता है और इसलिए, बी. एड. उम्मीदवारों को पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य माना जाना चाहिए।"

इन फैसलों को उच्चतम न्यायालय ने योगेश कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार**,** दिल्ली **14** के मामले में दोहराया था**,** जिसमें कहा गया था कि हालांकि बी**.** एड**.** एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।

13 (2003) 3 एससीसी 541 14 (2003) 3 एससी 548 182

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

शिक्षण के क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करने के बावजूद, यह एक ऐसा प्रशिक्षण है जो एक उम्मीदवार को उच्च कक्षाओं को पढ़ाने के लिए तैयार करता है, न कि प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं को।

27. बी. एड. स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए योग्यता प्रमाणन नहीं है।प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक से आवश्यक शैक्षणिक कौशल और प्रशिक्षण बी. एड. प्रशिक्षित शिक्षक से अपेक्षित नहीं है।उन्हें उच्च स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।प्राथमिक स्तर यानी कक्षा I से कक्षा V के लिए प्रशिक्षण D.El.Ed या जिसे प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा के रूप में जाना जाता है।यह एक D.El.Ed प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसे प्राथमिक स्तर के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक में कौशल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन और संरचित किया गया है।

इसलिए, बी. एड. को योग्यता के रूप में शामिल करना प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की 'गुणवत्ता' को कम करने के बराबर है।'शिक्षा की गुणवत्ता जो इस देश में संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटक था, जिसकी चर्चा हमने इस क्रम के पिछले पैराग्राफ में की है।

28. हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि दिनांक 1 की अधिसूचना तक, एन. सी. टी. ई. की सुसंगत नीति बी. एड. उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की पात्रता मानदंडों से बाहर करने की थी।आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 के तहत "शैक्षणिक प्राधिकरण" के रूप में एन. सी. टी. ई. द्वारा दी गई पहली अधिसूचना, जिसे पिछले पैराग्राफ में संदर्भित किया गया है, में प्राथमिक कक्षाओं के लिए बी. एड. योग्य शिक्षकों पर विचार नहीं किया गया था।फिर भी, विशुद्ध रूप से विभिन्न राज्य सरकारों को प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण कॉलेज/केंद्र स्थापित करने के लिए सुसज्जित करने के लिए, बी. एड. उम्मीदवारों को बहुत सीमित अवधि के लिए जारी रखना था।

29. यह वर्ष 2010 से शुरू होने वाली प्रारंभिक अवधि के दौरान था, जब अधिनियम और एन. सी. टी. ई. के बाद के आदेश ने पूरे देश में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारण निर्धारित किया था।लेकिन अनिवार्य रूप से बी. एड. योग्य शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पात्रता के दायरे से बाहर रखा गया था क्योंकि बी. एड. को प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए "योग्यता प्रमाण" नहीं माना जाता था।

बी. एड. पाठ्यक्रमों (प्राथमिक कक्षाओं के लिए) में अंतर्निहित शैक्षणिक कमजोरी को अच्छी तरह से पहचाना जाता है, और यही कारण है कि विवादित अधिसूचना में ही यह प्रावधान किया गया है कि बी. एड. प्रशिक्षित शिक्षकों को उनकी नियुक्ति के पहले दो वर्षों के भीतर प्राथमिक कक्षाओं में छह महीने का प्रशिक्षण लेना होगा।

इस पृष्ठभूमि में, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए बी. एड. उम्मीदवारों को शामिल करना हमारी समझ से परे है।

हमने अब तक देखा है कि 'गुणवत्तापूर्ण' और सार्थक प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पर विधायिका के साथ-साथ शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा भी जोर दिया गया था।प्राथमिक शिक्षा में, शिक्षा की 'गुणवत्ता' पर किसी भी तरह के समझौते का मतलब अनुच्छेद 21 ए और अधिनियम के अधिदेश के खिलाफ जाना होगा। प्राथमिक शिक्षा के मूल्य को कभी कम करके नहीं आंका जा सकता है।

मायरॉन वेनर ने भारत में बाल श्रम पर अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक 15 में, भारत में बाल श्रम समस्याओं को प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अतीत में प्रभावी उपायों की कमी से जोड़ा है।इन संस्थानों के पोषण के लिए बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि इन वर्गों में हमारा भविष्य आकार ले रहा है।विक्टर ह्यूगो ने प्रसिद्ध रूप से कहा था 'जो स्कूल का दरवाजा खोलता है, वह जेल को बंद कर देता है।' बच्चे अभी भी खतरनाक वातावरण में काम कर रहे हैं और कानून के साथ संघर्ष में किशोर, कुछ हद तक, हमारी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में कमजोरी की ओर इशारा करते हैं, दोनों इसकी पहुंच और इसकी 'गुणवत्ता' पर।

एक शिक्षक के शैक्षणिक कौशल को बहुत उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।लेकिन हमारी प्राथमिकता अलग-अलग प्रतीत होती है।यह 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं है, बल्कि बी. एड. प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अधिक नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए है, क्योंकि यह उनके समावेश का एकमात्र कारण प्रतीत होता है, भारी सबूतों की उपस्थिति में कि बी. एड. पाठ्यक्रम प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम नहीं है।

उच्चतम स्तर पर आधिकारिक संचार और बैठकों के रूप में इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मामले में एन. सी. टी. ई. द्वारा लिया गया निर्णय किसी विशेषज्ञ निकाय का स्वतंत्र निर्णय नहीं है जो क़ानून द्वारा बनाया गया है और जिसे स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए अनिवार्य किया गया है।एन. सी. टी. ई. का उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार करना है न कि बी. एड. प्रशिक्षित शिक्षकों को रोजगार के लिए और अवसर प्रदान करना।हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि यह तब किया जा रहा है जब प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों को केवल प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और कहीं और, बी. एड. योग्य शिक्षक की तुलना में, जिन्हें वरिष्ठ प्राथमिक कक्षाओं (छठी से आठवीं) के साथ-साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में भी नियुक्त किया जा सकता है।इसलिए यह किसी भी मामले में डिप्लोमा धारकों के लिए उचित नहीं है, जो अब अपने लिए उपलब्ध एकमात्र स्थान को और सिकुड़ते हुए देख रहे होंगे।

15 वेनर मायरन (1991):तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भारत में बाल और राज्य-प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस 184

बी. एड. को 'योग्यता प्रमाणन' के रूप में शामिल करने की अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 द्वारा की गई थी, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित किया गया था।इस अधिसूचना को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

एफ. नहीं। एन. सी. टी. ई.-रेगल 012/16/2018-बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2010 को जारी अधिसूचना संख्या एस. पी. 750 (ई) के अनुसरण में, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन. सी. टी. ई.) इसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. एन. में निम्नलिखित और संशोधन करती है।- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(1) उक्त अधिसूचना में, उप-पैरा (i) के पैरा 1 में, खंड (क) में "स्नातक" और "प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा" (जो भी नाम ज्ञात हो) शब्दों और कोष्ठकों के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

या

"कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक (बी. एड.) "2. पैरा 3 में उल्लिखित अधिसूचना में, उप-पैरा (ए) के लिए, निम्नलिखित उप-पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"(क) जिसने किसी भी एन. सी. टी. ई. मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की योग्यता प्राप्त की है, उसे पहली से पांचवीं कक्षा में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए माना जाएगा, बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति के दो साल के भीतर एन. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह महीने का ब्रिज कोर्स करेगा।

(बल दिया गया)

185

देवेश शर्मा बनाम भारत और भारत का संघ। [सुधांशु धूलिया, जे।]

30. घटनाओं का क्रम, जो अब राजस्थान उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष रखे गए दस्तावेजों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि बी. एड. को योग्यता प्रमाण के रूप में शामिल करने का निर्णय स्पष्ट रूप से केवीएस 16 के आयुक्त के एक पत्र से शुरू हुआ था, जिन्होंने अनुरोध किया था कि चूंकि केंद्रीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित डिप्लोमा धारक उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उन्हें बी. एड. योग्य शिक्षकों को नियुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है, जो आसानी से उपलब्ध हैं।मंत्रालय इस पत्र का संज्ञान लेता है, बैठकें आयोजित की जाती हैं और अंततः यह एन. सी. टी. ई. को न केवल केंद्रीय विद्यालयों में बल्कि पूरे देश के प्राथमिक विद्यालयों में बी. एड. प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्देश देता है, जिसमें राज्य द्वारा संचालित स्कूल शामिल होंगे।यह कैसे हुआ इसका क्रम नीचे दिया गया है।

संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 28.05.2018 पर एक बैठक आयोजित की गई।बैठक में केवीएस स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए बी. एड. को एक अतिरिक्त पात्रता मानदंड के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया।इसके बाद अगले ही दिन एक टिप्पणी आई जिसमें कहा गया है कि चूंकि बी. एड. योग्य उम्मीदवार केवीएस स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के पात्र थे, इसलिए अन्य स्कूलों में भी इस निर्देश को लागू करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।इन संचारों का समापन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांकित एक पत्र में होता है, जो एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 29 के तहत जारी एक निर्देश के रूप में था, जिसमें एन. सी. टी. ई. को बी. एड. योग्य

उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन करने की आवश्यकता थी।उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए, एन. सी. टी. ई. ने 28.06.2018 पर विवादित अधिसूचना जारी की।

दिनांकित 28.05.2018 बैठक के कार्यवृत्त, इस कारण का खुलासा करते हैं कि बी. एड. को योग्यता प्रमाण के रूप में क्यों शामिल किया जाना चाहिए।ये कार्यवृत्त निम्नानुसार बताते हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“.....

2. इस मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया गया और एचआरएम ने उच्च योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षक (यानी B.A./B.Sc, बी. एड. + टीईटी) की भर्ती के केवीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।इसके अलावा, एच. आर. एम. ने यह भी निर्देश दिया है कि एन. सी. टी. ई. योग्यता निर्धारण में संशोधन कर सकता है और B.A./B.Sc, बी. एड. भी कर सकता है।

16 केंद्रीय विद्यालय संगठन-शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय, जो पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों के प्रबंधन को देखता है।

सेवा में शामिल होने के 2 वर्षों में शैक्षणिक मॉड्यूल को पूरा करने के प्रावधान के साथ प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए पात्र, इन निर्देशों को एन. सी. टी. ई. को 12.04.2018 पर सूचित किया गया था, हालांकि, कार्रवाई अभी भी उनकी ओर से लंबित है।

3. एच. आर. एम. की अध्यक्षता में आज (28 मई, 2018) आयोजित बैठक में इस मामले पर फिर से चर्चा की गई और विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और इसमें विशेष सचिव, अध्यक्ष, एन. सी. टी. ई., एम. एस., एन. सी. टी. ई., संयुक्त सचिव (एस. ई. आई.) और के. वी. एस. आयुक्त ने भाग लिया।केवीएस आयुक्त ने प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अपर्याप्त संख्या और देश भर के बजाय कुछ राज्यों से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के मुद्दों को उठाया।एम. एस., एन. सी. टी. ई. द्वारा यह बताया गया कि देश भर में D.El.Ed के लिए लगभग 7.5 लाख सीटें उपलब्ध हैं जिनमें से 50 प्रतिशत सीटें भरी जा चुकी हैं।हालांकि, टीईटी पास D.El.Ed उम्मीदवार बहुत कम होगा क्योंकि टीईटी का परिणाम 6 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक होता है।इससे पात्र D.El.Ed उम्मीदवारों की उपलब्धता वांछित की तुलना में बहुत कम हो जाती है।एच. आर. एम. ने स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर सुसज्जित शिक्षकों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।उच्च योग्यता वाले शिक्षकों की भर्ती अंततः फायदेमंद और छात्रों के हित में होगी।

4. उपरोक्त के अलावा, एन. सी. टी. ई. अगले शैक्षणिक वर्ष से चार वर्षीय बी. एड. एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करेगा, इसलिए, प्रचलित आई. डी. 1. आदि समयबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएंगे।उत्तराखंड राज्य से भी इसी तरह का अनुरोध किया गया है।

5. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, एच. आर. एम. ने एन. सी. टी. ई. को अपने नियमों को बदलने का निर्देश दिया, एन. सी. टी. ई. अधिनियम, 1993 की धारा 29 के तहत निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है।एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 29 इस प्रकार हैः

(1) परिषद इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से बाध्य होगी जो केंद्र सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दे।

(2) इस बारे में केंद्र सरकार का निर्णय कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, अंतिम होगा।

(6) हम एन. सी. टी. ई. से अनुरोध कर सकते हैं कि वह एन. सी. टी. ई. विनियमों में जल्द से जल्द संशोधन करने के लिए अधिसूचना का मसौदा प्रस्तुत करे।कृपया अनुमोदन के लिए मसौदा पत्र संलग्न किया गया है।एक बार मसौदा अधिसूचना प्राप्त हो जाने के बाद, इसे एच. आर. एम. की मंजूरी के साथ जाँच के लिए विधायी विभाग को भेजा जाएगा।

प्रस्तुत किया।"

29.05.2018 दिनांकित बैठक के कार्यवृत्त में निम्नानुसार उल्लेख किया गया हैः- “दिनांकित नोट 29.05.2018

कृपया एन. सी. टी. ई. के पत्र को प्रस्तुत करें जो बैठक के दौरान एम. एस., एन. सी. टी. ई. द्वारा एच. आर. एम. को सौंपा गया था, जिसका विवरण मसौदा उत्तर में संदर्भित किया गया है।बैठक में स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया गया कि केवी आयुक्त द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और चूंकि एनसीटीई को केवी स्कूलों को उच्च योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए इसे अन्य स्कूलों में बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और इसलिए, यह मंत्रालय धारा 29 के तहत एनसीटीई को निर्देश जारी कर सकता है।" सरकार की ओर से एन. सी. टी. ई. को दिनांकित 30.05.2018 का पत्र। "दिनांकित पत्र 30.05.2018

प्राथमिकता

F.No.11-15/2017-EE.10-Part (1) भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली, दिनांक 30 मई, 2018

को,

अध्यक्ष एन. सी. टी. ई.,

हंस भवन,

बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।

प्रिय महोदया, कृपया उच्च योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुरोध के संबंध में B.A./B.Sc, B. Ed. प्लस TET पास और लेटर नं. एन. सी. टी. ई.-आर. ई. जी. 1012/16/2018-यू. एस. (विनियमन)-मुख्यालय दिनांक 23.05.2018 उसी के संबंध में एन. सी. टी. ई. से प्राप्त हुआ।

2. उपरोक्त अनुरोध पर इस मंत्रालय में विचार किया गया है।छात्रों के हितों की रक्षा करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी ने उच्च योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केवीएस के अनुरोध पर सहमति व्यक्त करने का निर्णय लिया है।टी. ई. टी. परीक्षा के कम उत्तीर्ण प्रतिशत के कारण योग्य डी. ई. आई. एड. उम्मीदवारों की अपर्याप्त संख्या भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक मुद्दा बन गई है।इसके अलावा, अगले शैक्षणिक वर्ष से चार वर्षीय बी. एड. एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू होने के साथ, मौजूदा आई. डी. 1 पाठ्यक्रमों को नियत समय में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

3. एन. सी. टी. ई. ने उनके पत्र सं. एन. सी. टी. ई.-आर. ई. जी. 1012/16/2018-यू. एस. (विनियमन)-मुख्यालय दिनांक 23.05.2018 में कहा गया है कि "एम. एच. आर. डी. भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री की विस्तृत टिप्पणी में निर्देश को लागू करने पर विचार कर सकता है।"इसके अलावा, केवी आयुक्त द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए और चूंकि एन. सी. टी. ई. को केवी स्कूलों को उच्च योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए इसे अन्य स्कूलों में लागू करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।इसलिए, एन. सी. टी. ई. अधिनियम, 1993 की धारा 29 के तहत एम. एच. आर. डी. में निहित शक्तियों पर विचार करते हुए, एन. सी. टी. ई. विनियमन 25.08.2010 (प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षक की योग्यता निर्धारित करना) में यह शामिल करने के लिए संशोधन किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जिसने एन. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पाठ्यक्रम से बी. एड. की योग्यता प्राप्त की है, उसे भी कक्षा 1 से 5 में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए माना जाएगा, बशर्ते कि इस तरह से शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, जिसे एन. सी. टी. ई. द्वारा प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति के दो साल के भीतर मान्यता प्राप्त है।

4. इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि एन. सी. टी. ई. विनियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना का मसौदा कृपया इस मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए।कृपया इसे सबसे जरूरी माना जा सकता है।

संबंध में,

आपकी ईमानदारी से,

ह /-

(राशी शर्मा)

निदेशक (टी. ई.) "

इसके बाद एन. सी. टी. ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 जारी की जाती है, जिसे पहले ही ऊपर संदर्भित किया जा चुका है।

31. घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षकों के रूप में बी. एड. योग्य उम्मीदवारों के विचार के लिए एक अभ्यास के रूप में जो शुरू हुआ, उसका विस्तार पूरे देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को शामिल करने के लिए किया गया था।स्पष्ट तर्क यह दिया गया है कि बी. एड. योग्य उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए बेहतर हैं, क्योंकि उनके पास 'उच्च योग्यता' है, और इस तरह उन्हें सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।ऐसा करने का एक अन्य कारण योग्य टीईटी उम्मीदवारों की कमी है।बैठक में दिए गए निर्देश बताते हैं कि टी. ई. टी. परीक्षा में बैठने वाले केवल 6 प्रतिशत से 16 प्रतिशत उम्मीदवार ही परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि बी. एड. उम्मीदवारों को शामिल करने से टी. ई. टी. उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि होगी।लेकिन यह तर्क तब सही नहीं है जब बी. एड. ने प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए बुनियादी शैक्षणिक सीमा को पार नहीं किया है।

हम पहले ही इस पहलू की बहुत विस्तार से जांच कर चुके हैं।बी. एड. प्राथमिक कक्षाओं के संदर्भ में कक्षाओं के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए एक योग्यता प्रमाण नहीं है, बहुत कम एक बेहतर या उच्च योग्यता प्रमाण है।यह निर्णय एन. सी. टी. ई. के प्रवेश में ही स्पष्ट है जो यह अनिवार्य करता है कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए सभी बी. एड. योग्य शिक्षकों को उनकी नियुक्ति के दो साल के भीतर अनिवार्य रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम से गुजरना होगा।

32. सोसाइटी फॉर अनएडिड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ राजस्थान

भारत और अन्य (ऊपर) इस न्यायालय ने आर. टी. ई. अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा, जो अब संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है, एक सार्थक शिक्षा होनी चाहिए, न कि केवल एक 190 वीं शिक्षा।

औपचारिकता।जब प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए एक आवश्यक योग्यता के रूप में रखा गया था, तो इसका उद्देश्य केवल ऐसे शिक्षकों को योग्य शिक्षा के रूप में घोषित करना था जो 'प्राथमिक स्तर' पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित हैं।एक बच्चे के लिए शिक्षाशास्त्र जो अभी-अभी स्कूल में प्रवेश कर चुका है, एक महत्वपूर्ण विचार है।एक बच्चा कक्षा में पहली बार एक "शिक्षक" का सामना करने आया है।यह बाल छात्र के लिए एक यात्रा की शुरुआत है और इसलिए इन प्रारंभिक वर्षों में उचित नींव रखने में दुनिया भर में बहुत सावधानी बरती जाती है।प्राथमिक विद्यालय में अच्छी योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित शिक्षक एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है।एक शिक्षक को "प्राथमिक स्तर" पर छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) का प्रशिक्षण ठीक यही करता है। यह एक व्यक्ति को प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करता है।बी. एड. एक 'उच्च योग्यता प्रमाणन' या एक बेहतर योग्यता प्रमाणन नहीं है, जैसा कि 'प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा' के साथ इसकी तुलना करते हुए इसके पक्ष में प्रचार किया जा रहा है।बी. एड. एक अलग योग्यता है। एक अलग तरह का प्रशिक्षण।यह मानते हुए भी कि यह एक उच्च योग्यता श्रेणी है, यह अभी भी प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए एक उपयुक्त योग्यता श्रेणी नहीं होगी।प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) के विपरीत, बी. एड. एक शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए सुसज्जित नहीं करता है।इस तथ्य को अधिसूचना में भी स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है (अधिसूचना दिनांक 28.06.2018), जिसमें अभी भी एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे बी. एड. के साथ शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।यह बी. एड. को एक योग्यता के रूप में शामिल करने के तर्क को विफल कर देता है, क्योंकि बी. एड. को शामिल करने के लिए जोर देने वाला अधिसूचना भी प्राथमिक वर्गों के संबंध में इसकी

अंतर्निहित शैक्षणिक कमजोरी को पहचानती है।इस दोष को दूर करने के लिए, ऐसे सभी उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य रूप से छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा!यहाँ विडंबना यह है कि यह सब तब किया जा रहा है जब राजस्थान राज्य में पहले से ही आवश्यक संख्या से अधिक डिप्लोमा योग्य शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध हैं।यह इस तथ्य के अलावा है कि वर्तमान में ऐसा कोई "ब्रिज कोर्स" उपलब्ध नहीं है; कम से कम राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका के निपटारे तक कोई नहीं था।

33. सुरक्षा परिस्थितियों के तहत, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि बी. एड. उम्मीदवारों को शामिल करने की क्या आवश्यकता थी, जो प्राथमिक कक्षाओं को लेने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं!नतीजतन, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए योग्यता प्रमाण के रूप में बी. एड. को शामिल करने का एन. सी. टी. ई. का निर्णय मनमाना, अनुचित लगता है और वास्तव में इसका उद्देश्य 191 के साथ कोई संबंध नहीं है।

देवेश शर्मा बनाम भारत और भारत का संघ। [सुधांशु धूलिया, जे।]

अधिनियम अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई, जो बच्चों को न केवल मुफ्त और अनिवार्य बल्कि 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा भी देता है।34. हमारी सुविचारित राय में इसलिए एन. सी. टी. ई. को प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (स्तर-1) के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता प्रमाण के रूप में बी. एड. को शामिल करने में न्यायसंगत नहीं ठहराया गया था, एक योग्यता कारण जिसे उसने अब तक जानबूझकर पात्रता आवश्यकता से बाहर रखा था।राजस्थान उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय के माध्यम से निम्नलिखित आधारों पर दिनांकित अधिसूचना 28.06.2018 को सही ढंग से खारिज कर दिया थाः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“(i) विवादित अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 गैरकानूनी है क्योंकिः- (क) यह केंद्र सरकार के निर्देश के तहत है, जो आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार के पास नहीं थी; और

(बी) यह एन. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों में ढील देते हुए आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार की शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है, और न ही ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए कोई अभ्यास किया गया है।

(ii) याचिकाकर्ताओं के पास दिनांकित 28.06.2018 अधिसूचना को चुनौती देने का अधिकार है।केवल इसलिए कि एक अतिरिक्त योग्यता को पात्रता मानदंडों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, याचिकाकर्ताओं को इसे चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता है।

(iii) बी. एड. की डिग्री वाले उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए पात्र के रूप में स्वीकार करना और उसके बाद उसे नियुक्ति के दो साल के भीतर ब्रिज कोर्स पूरा करने के लिए प्रस्तुत करना मौजूदा पात्रता मानदंडों में ढील देने की प्रकृति है, जो केंद्र सरकार केवल धारा 23 की उप-धारा (2) के भीतर कर सकती थी और ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक परिस्थितियों के अस्तित्व के अधीन है।

(iv) राज्य सरकार आर. ई. ई. टी. के लिए विज्ञापन जारी करते समय एन. सी. टी. ई. द्वारा दिनांकित 28.06.2018 की अधिसूचना को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। हालाँकि, जब हमने घोषणा की है कि यह अधिसूचना अवैध है और अलग करने की प्रक्रिया में है, तो यह मुद्दा अकादमिक मूल्य का हो जाता है।

35. वर्तमान मामले के एक महत्वपूर्ण पहलू पर अब विचार किया जाना चाहिए, जिस पर अपीलार्थी के वकील द्वारा बहुत जोर दिया गया था।

निवेदन यह है कि किसी भी मामले में केंद्र सरकार यह तय करने में प्राधिकरण है कि शिक्षकों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और एन. सी. टी. ई. इस संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद

अधिनियम (एन. सी. टी. ई. अधिनियम), धारा 12 ए और धारा 29 के दो प्रावधानों पर निर्भरता रखी गई थी।हमें अपने सामने की गई प्रस्तुतियों के आलोक में इन प्रावधानों की जांच करनी चाहिए।

अधिनियम की धारा 12 ए निम्नानुसार हैः

"12A. न्यूनतम मानक निर्धारित करने के लिए परिषद की शक्ति

विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षा।— विद्यालयों में शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से, परिषद, विनियमों द्वारा, किसी भी पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या मध्यवर्ती विद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में भर्ती होने के लिए व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित कर सकती है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, स्थापित हो, संचालित हो, सहायता प्राप्त हो या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त होः

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 18) के प्रारंभ से तुरंत पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी नियम, विनियम या आदेश के तहत किसी पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या मध्यवर्ती स्कूलों या कॉलेजों में भर्ती किए गए किसी भी व्यक्ति के बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

बशर्ते कि प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट शिक्षक की न्यूनतम योग्यता इस अधिनियम में या बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त की जाएगी।]"

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधिनियमन के बाद एन. सी. टी. ई. अधिनियम में धारा 12 ए को जोड़ा गया था। धारा 12 ए केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 का पूरक है, जिसकी चर्चा हम पहले ही पिछले पैराग्राफ में कर चुके हैं।

इसके बाद, हम एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 29 पर आते हैं जो इस प्रकार हैः

देवेश शर्मा बनाम भारत और भारत का संघ। [सुधांशु धूलिया, जे।]

"29. केंद्र सरकार के निर्देशः(1) परिषद करेगी,

इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से बाध्य होना चाहिए जो केंद्र सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दे।

(2) इस बारे में केंद्र सरकार का निर्णय कि कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, शून्य होगा।"

यह प्रस्तुत किया गया था कि एक अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 द्वारा, NCTE ने केवल केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया है जो एक नीति की प्रकृति में हैं।इसके अलावा यह दिनांक 1 की बैठक के कार्यवृत्त से भी स्पष्ट है जहां यह स्पष्ट किया गया था कि केंद्र सरकार का बी. एड. को योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्देश अधिनियम की धारा 29 के तहत एक निर्देश है। एन. सी. टी. ई. इस संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है और वर्तमान मामले में बी. एड. को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए योग्यता प्रमाण के रूप में शामिल करने का निर्देश था, जो एन. सी. टी. ई. द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 के माध्यम से किया गया है, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील के साथ-साथ भारत संघ की ओर से विद्वान ए. एस. जी. सुश्री ऐश्वर्या भाटी की प्रस्तुति है।इसके अलावा, धारा 29 की उप-धारा (2) के अनुसार, केंद्र सरकार का निर्णय कि नीतिगत निर्णय क्या है, अंततः मायने रखता है, यह भी तर्क है।

36. केंद्र सरकार के निर्देशों पर एन. सी. टी. ई. द्वारा योग्यता प्रमाण के रूप में बी. एड. की शुरुआत सरकार का एक नीतिगत निर्णय है, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, और घटनाओं के क्रम, विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त और इस संबंध में पारित आदेश से भी स्पष्ट है।एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 29 जो यह आदेश देती है कि एन. सी. टी. ई. को अपने कार्यों के निर्वहन में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए।यह एक नीतिगत निर्णय है जो एन. सी. टी. ई. को बाध्य करता है।

हमारे मन में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सरकार के नीतिगत निर्णयों में आम तौर पर न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवैधानिक न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।साथ ही यदि नीतिगत निर्णय स्वयं कानून के विपरीत है और मनमाना और तर्कहीन है, तो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

एक नीतिगत निर्णय जो पूरी तरह से मनमाना है; कानून के विपरीत, या एक निर्णय जो दिमाग के उचित अनुप्रयोग के बिना लिया गया है, या प्रासंगिक कारकों की पूरी तरह से अवहेलना में हस्तक्षेप किया जा सकता है, क्योंकि वह भी 194 है।

कानून और संविधान का अधिदेश।इस पहलू को इस न्यायालय द्वारा बार-बार दोहराया गया है।

न्यायिक समीक्षा आवश्यक हो जाती है जहाँ कोई अवैधता, तर्कहीनता या प्रक्रियात्मक अनुचितता होती है।इन सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया

सिविल सेवा संघ परिषद बनाम मंत्री में लॉर्ड डिप्लॉक द्वारा

सिविल सेवा 17 (आमतौर पर सी. सी. एस. यू मामले के रूप में जाना जाता है)।उपरोक्त निर्णय

इस न्यायालय द्वारा एन. सी. टी. दिल्ली राज्य बनाम संजीव 18 में निर्दिष्ट किया गया है।

इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा एम. पी. और अन्य बनाम राज्य मामले में फिर से दोहराया गया था।

माला बनर्जी 19:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“6. हम स्वयं भी अपीलार्थियों की इस दलील से सहमत होने में असमर्थ हैं कि यह एक नीतिगत मामला है और इसलिए अदालतों द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ [(2003) 4 एस. सी. सी. 289] में, इस न्यायालय ने पहले ही न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार किया है और यह गणना की है कि जहां कोई नीति कानून के विपरीत है या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है या मनमाना या तर्कहीन है, अदालतों को इसे रद्द करके अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ 20 में इस न्यायालय ने इस पर दोहराया

पहलू और एक अंतर बनाया कि किसी निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता कहाँ है, और जबकि यह नहीं है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“100. कुछ परीक्षणों, चाहे इस न्यायालय को राज्य के नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, जैसा कि अन्य निर्णयों में कहा गया है, का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(I) यदि नीति तर्कसंगतता की कसौटी को पूरा करने में विफल रहती है, तो यह असंवैधानिक होगा।

(II) नीति में परिवर्तन निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए और यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि यह किसी भी गलत इरादे से मनमाने ढंग से किया गया था।

(III) नीति में दुर्भावना, अनुचितता, मनमानेपन या अनुचितता आदि के आधार पर दोष लगाया जा सकता है।

17 (1984) 3 सभी ईआर 935:1985 एसी 374:(1984) 3 डब्ल्यूएलआर 1174 (एचएल) 18 (2005) 5 एससीसी 181

19 (2015) 7 एस. सी. सी. 698

20 (2012) 6 एससीसी 502 195

(IV) यदि नीति किसी कानून या संविधान के खिलाफ पाई जाती है या इन प्रावधानों के पीछे के दर्शन के विपरीत है।(V) यह अधिनियम या विधानों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

(VI) यदि प्रतिनिधि ने प्रत्यायोजन की अपनी शक्ति से परे काम किया है।101. इस प्रकृति के मामलों को दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता हैःएक वर्ग राज्य के सामान्य नीतिगत निर्णयों से संबंधित मामले हैं और दूसरा राज्य की वित्तीय नीतियों से संबंधित मामले हैं।मामलों के पूर्व वर्ग में, अदालतों ने न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया है जब कार्रवाई मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या देश के कानून के विपरीत होती है; जबकि बाद के वर्ग के मामलों में, इस तरह की न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत कम होता है।फिर भी, अनुचितता, मनमानेपन, अनुचित कार्रवाई या पत्र के विपरीत नीतियां, कानून के इरादे और दर्शन और प्रत्यायोजित शक्ति की अनुमेय सीमाओं से परे विस्तार करने वाली नीतियां ऐसे उदाहरण होंगे जहां अदालतें सरकारी नीति में हस्तक्षेप करने के लिए कदम उठाएंगी।"

प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए योग्यता प्रमाण के रूप में बी. एड. को शामिल करने या बाहर करने का निर्णय एक शैक्षणिक निर्णय है, जिसे शैक्षणिक निकाय यानी एन. सी. टी. ई. द्वारा उचित अध्ययन के बाद लिया जाना चाहिए और बेहतर होगा कि इसे इस विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ दिया जाए।

लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि बी. एड. को योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्णय एन. सी. टी. ई. का एक स्वतंत्र निर्णय नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार का निर्णय था और एन. सी. टी. ई. को केवल एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 29 के तहत एक निर्देश होने के कारण इसे लागू करने का निर्देश दिया गया था, जिसका एन. सी. टी. ई. ने पालन किया।वर्तमान मामले में और मामले के व्यापक संदर्भ में, हम इसे एक नीतिगत निर्णय के रूप में भी नहीं देख सकते हैं।लेकिन इस तर्क में आए बिना, यहाँ तक कि इस तर्क के लिए भी कि सरकारी स्तर पर बी. एड. को प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए योग्यता प्रमाण के रूप में शामिल करने का निर्णय एक नीतिगत निर्णय है, हमें कहना चाहिए कि यह निर्णय सही नहीं है क्योंकि यह अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है। वास्तव में, यह अनुच्छेद 21 ए के तहत संविधान में निहित मौलिक अधिकार के अक्षर और भावना के खिलाफ है। यह अधिनियम के विशिष्ट आदेश के खिलाफ है, जो बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य और सार्थक प्राथमिक शिक्षा का आह्वान करता है।बी. एड. को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए योग्यता प्रमाण के रूप में शामिल करके, केंद्र सरकार ने संविधान और कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ कार्रवाई की है।केंद्र सरकार द्वारा बी. एड. को योग्यता के रूप में शामिल करने का एकमात्र तर्क यह है कि 196

यह एक 'उच्च योग्यता' है।यह हम पहले ही देख चुके हैं जो सही नहीं है।इन परिस्थितियों में, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अधिसूचना को सही ढंग से रद्द कर दिया गया है और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को बरकरार रखना होगा।

इसलिए हमारी सुविचारित राय में केंद्र सरकार का दिनांक 1 का निर्देश जो एन. सी. टी. ई. की दिनांक 2 का अधिसूचना में समाप्त होता है, आर. टी. ई. अधिनियम में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, यह अधिसूचना कानून के उद्देश्य और जनादेश के खिलाफ है, जो बच्चों को एक सार्थक और 'गुणवत्तापूर्ण' प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।पूरा अभ्यास भी प्रक्रियात्मक रूप से अव्यवस्थित है।आई. डी. 1 दिनांकित अधिसूचना एन. सी. टी. ई. का उचित विचार-विमर्श के बाद लिया गया एक स्वतंत्र निर्णय नहीं है, बल्कि यह केवल केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करता है, एक ऐसा निर्देश जो दिन की वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को ध्यान में रखने में विफल रहता है।उपरोक्त निर्धारण करने के बाद, हम सभी की यह भी सुविचारित राय है कि राजस्थान राज्य ने बी. एड. योग्य उम्मीदवारों से आवेदन नहीं बुलाने में स्पष्ट रूप से गलती की थी, इस कारण से कि उस समय तक जब तक राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा विज्ञापन जारी किया गया था, बी. एड. उम्मीदवारों को एन. सी. टी. ई. की वैधानिक अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों के रूप में शामिल किया गया था, जो राजस्थान सरकार पर बाध्यकारी था, जब तक कि अदालत द्वारा इसे अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया था।राजस्थान उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा था किः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“.....हमारा मानना है कि राज्य सरकार आर. ई. ई. टी. के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय अधिसूचना को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। भले ही राज्य सरकार की राय थी कि इस तरह की अधिसूचना असंवैधानिक थी या किसी भी कारण से अवैध थी, लेकिन इसकी अनदेखी करने से पहले इसे किसी सक्षम अदालत द्वारा रोक दिया जाना था या अलग रखा जाना था।"

[विवादित निर्णय का पैरा 45] राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऊपर जो कहा था वह तय की गई कानूनी स्थिति है।मणिपुर राज्य में इस न्यायालय के हाल के तीन न्यायाधीशों के फैसले में

& ओआरएस. वी.सूरजकुमार ओकराम और अन्य। 21 यह स्थिति कि एक क़ानून जो है

एक सक्षम विधायिका द्वारा बनाया गया तब तक वैध है जब तक कि इसे कानून की अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता है; दोहराया गया है।

21 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 130 197

देवेश शर्मा बनाम भारत और भारत का संघ। [सुधांशु धूलिया, जे।]

37. नतीजतन, अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और राजस्थान उच्च न्यायालय के 25.11.2021 दिनांकित फैसले को बरकरार रखा जाता है।28.06.2018 दिनांकित अधिसूचना रद्द कर दी गई है और अलग कर दी गई है।रिट याचिकाओं और सभी लंबित आवेदनों का उपरोक्त आदेश के आलोक में निपटारा किया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन